

पर्चा डिक्री

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

0 395 / 2024

मान

हरदीपकौर पुत्री करनैलसिंह पत्नी प्रेमसिंह जाति जटसिख निवासी कमरानी तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीया

बनाम्

सुखवीरकौर पत्नी सुखमन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी कमरानी तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़।

तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण


डिक्री

दिनांक 24/11/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के
समक्ष वकील वादी श्री करनैलसिंह व वकील प्रतिवादी महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/
निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के
आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर
घोषणा की जाती है कि वादीया का अतः वाद वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों
के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा
घोषणा की जाती है कि क. वादीया हरदीपकौर को प्राप्त आराजी :- चकनं0 3
एच. एम. एच के प0न0 170/275 मु0 40 किलानं0 17/.211 पश्चिमी दिशा,
23/.253, 24/.211 पश्चिमी दिशा

ख. प्रतिवादीया सं0 1 सुखवीर कौर प्राप्त आराजी:- चकनं0 3 एच. एम. एच के
प0न0 170/275 मु0 40 किलानं0 17/.042 पूर्वी दिशा, 24/.042 पूर्वी दिशा,
25/1/.228, 25/2/.025 है0 गै0मु0 खाला इसी अनुसार वादीया व
प्रतिवादीया का खाता तकसीम करते हुए रकम राज अलग से कायम की जावे।
तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक
रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन
आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा
उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की
मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी एवं
(सत्यनारायण R.A.S.)
सहायक कलक्टर टिब्बी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी